फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

रामप्रताप दीवान बनाम बनवारी वगै0

मा नं0 :–179/2022

ा	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	20.05.24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण अनु0। अप्रार्थीगणों को बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नही। अतः अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 7 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 23.05.2024 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ	
	23.05.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र, तहसीलदार रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने पर पाया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 398/145 रकबा 0.8500है0 किस्म औधोगिक प्रयोजनार्थ एवं खसरा नम्बर 483/407 रकबा 0.83है0 किस्म बंजड है। चुकि खसरा नम्बर 398/145 रकबा 0.8500है0 की किस्म औधोगिक प्रयोजनार्थ है। इसलिए खसरा नम्बर 398/145 की पत्थरगढी नही की जा सकती है केवल खसरा नम्बर 483/407 की पत्थरगढी कियां जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधि0 को आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आंधी को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी की ग्राम चिलपली, पटवार हल्का बहलोड, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 483/407 रकबा 0.83है0 में यदि मौके पर फसल न हो एवं कोई स्थगन आदेश न हो तो प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगणों की मौजूदगी में पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें। पत्थरगढी की आड में बेदखली की कार्यवाही नही की जावें। अगर किसी पडौसी खातेदार द्वारा आपत्ति करते है तो उन्हे सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर पत्थरगढी की कार्यवाही की जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार को भिजवाई जावें। निर्णय आज खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों। (ललित मीना) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ	